न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 12/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खाँ, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद सिंह राठौड पुत्र श्री राधेश्याम राठौड, निवासी–देलवाडा रोड, शिवगंज कॉलोनी, ब्यावर, जिला–अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के निर्देशानुसार प्रार्थी मय जांच दल के साथ पुलिस थाना ब्यावर सिटी पहुँचे, जहाँ नगर परिषद ब्यावर तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अप्रार्थी के निवास से दस्तयाब अवैध रूप से भण्डारित 06 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	66372	INDANE	16.0	29.9	13.9	Domestic
2	810707	INDANE	16.2	30.2	14	Domestic
3	873439	INDANE	16.2	30	13.8	Domestic
4	452429	HP	15.7	29.8	14.1	Domestic
5	137561	HP	17.4	31.5	14.1	Domestic
6	150623	HP	16.5	30.1	13.6	Domestic

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 06 घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स डांगी गैस सर्विस, ब्यावर के कार्मिक श्री छगन लाल पुत्र श्री खरता राम को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 06 घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब या साक्ष्य, सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई रूक–रूक कर आवाजे लगवाने पर भी प्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नही आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 14.03.2018 को अप्रार्थी के निवास स्थल से घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग हेतु भण्डारित कुल 06 सिलेण्डर जब्त किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये छहः घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना के, अनुपस्थित है। अप्रार्थी द्वारा जरिये जवाब ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच अप्रार्थी से अवैध रूप से भण्डारित 06 घरेलू गैस सिलेण्डर दस्तयाब कर जब्त किये गये। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये छहः घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर